

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या – 472/2025

उ.प्र. खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड द्वारा प्रबंध निदेशक एवं 2 अन्य ...अपीलकर्ता (गण)
बनाम

जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव ... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – कौशलेन्द्र तिवारी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :- शचीन्द्र प्रताप सिंह

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

(सिविल प्रकीर्ण आवेदन (आई ए) सं. 1 / 2025 पर आदेश)

- हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ को अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशलेन्द्र तिवारी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री शचीन्द्र प्रताप सिंह को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
- कार्यालय आख्या के अनुसार, यह अपील 94 दिन विलंब से दायर की गई है। निजी प्रतिवादी के अधिवक्ता ने विलंब क्षमा आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं की है।
- विलंब क्षमा आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के अध्ययन के बाद, हम यह भी पाते हैं कि अपीलकर्ताओं ने समस्त आवश्यक विवरणों के साथ अपील तैयार करने एवं इसे यथाशीघ्र दाखिल करने के लिए सद्भावनापूर्वक एवं ईमानदारी से प्रयास किए थे।
- प्रस्तुत स्पष्टीकरण के दृष्टिगत, जो हमें संतोषजनक प्रतीत होता है, हम अपील दाखिल करने में हुए विलंब

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को क्षमा करते हैं। विलंब क्षमा का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

5. अपीलकर्ता संख्या 2 का नाम पक्षकारों की सूची से हटाने के लिए भी एक आवेदन दायर किया गया है, साथ ही इसके समर्थन में एक शपथपत्र भी दिया गया है, क्योंकि यद्यपि प्रारंभ में उन्हें रिट याचिका में पक्षकार बनाया गया था, लेकिन किसी समय उनका नाम उक्त कार्यवाही से हटा दिया गया था।

6. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. अपीलकर्ता संख्या 2 का नाम आज ही पक्षकारों की सूची से हटा दिया जाए।

(अपील पर आदेश)

1. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ को अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशलेंद्र तिवारी की सहायता से एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री शचीन्द्र प्रताप सिंह को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

2. यह विशेष अपील अपीलकर्ताओं द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट-ए संख्या 19130/2018 (जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड एवं अन्य) में दिनांक 24.07.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश को चुनौती दी गई है।

3. विचाराधीन मामले का इतिहास जटिल है। प्रतिवादी-याचिकाकर्ता अपीलकर्ता के निगम में गोदाम प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, जब उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उन्हें दिनांक 21.03.2006 को एक आरोप पत्र दिया गया था, जिसमें 11 आरोप थे। प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने दिनांक 11.04.2006 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी ने जांच की कोई तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित किए बिना एवं अपचारी कर्मचारी की उपस्थिति में जांच किए बिना, जांच रिपोर्ट दिनांक 20.09.2006 प्रस्तुत की, जिसके आधार पर प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को दिनांक 02.11.2006 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे उत्तर मांगा गया था।

प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.11.2006 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। इसके बाद, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को आदेश 03.08.2007 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच, याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान अर्थात् आदेश दिनांक 23.11.2006 द्वारा सेवा में बहाल कर दिया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. दंड आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की गई, जिसे दिनांक 8.05.2008 को खारिज कर दिया गया।

5. प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक कार्यवाही, अधिरोपित दंड एवं अपीलीय आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 4404(एसएस) 2008 दायर की। उक्त याचिका को माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 29.01.2013 को खारिज कर दिया।

6. इससे व्यथित होकर प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने विशेष अपील संख्या 114/2013 दायर की, जिसे इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया कि दीर्घ शास्ति आरोपित करने की सम्यक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था। उक्त निर्णय के प्रस्तर 16 एवं 17 नीचे उद्धृत हैं:-

“16. वर्तमान मामले में, चूंकि सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान न करते हुए जांच नियमों के अनुसार नहीं की गई है एवं आरोप को बिना विधिक साक्ष्य के सिद्ध धारित कर दिया गया है, अतः हमें दंड आदेश को बरकरार रखना कठिन लगता है एवं हमारी राय में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह टिप्पणी कि जांच प्राधिकरण द्वारा नियमों के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया गया है, अभिलेख के विपरीत है, इसलिए यह संधार्य नहीं है।”

17. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 29.01.2013 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका संख्या 4404 (एसएस) 2008, जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड एवं अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश को अपास्त किया जाता है। हम दिनांक 03.08.2007 के दंड आदेश एवं दिनांक 06.05.2008 के अपीलीय आदेश को भी अपास्त करते हैं। यद्यपि, याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोप की गंभीरता को देखते हुए, हम प्रतिवादीगण को याचिकाकर्ता से उत्तर प्राप्त होने के बाद के चरण से याचिकाकर्ता के विरुद्ध नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति देते हैं। यदि प्रतिवादी आज से दो माह के अंतर्गत ऐसा निर्णय लेते हैं, तो वे उसके बाद छह माह के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण करेंगे। ऐसी कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता निलंबित रहेगा एवं उसे निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। वेतन के बकाया के संबंध में निर्णय प्रतिवादियों द्वारा पारित अंतिम आदेश के आलोक में लिया जाएगा। यदि प्रतिवादी उपरोक्त निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ न करने का निर्णय लेते हैं, तो याचिकाकर्ता समस्त परिणामी लाभों का अधिकारी होगा।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. जैसा कि दिनांक 11.07.2017 के उपरोक्त निर्णय के प्रस्तर 17 को पढ़ने से स्पष्ट होगा, खंड न्यायपीठ द्वारा एक समयसीमा निश्चित की गई थी, जिसमें नियोक्ता को याचिकाकर्ता से उत्तर प्राप्त होने के चरण से नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी एवं इस संबंध में निर्णय दिनांक 11.07.2017 से दो माह के अंतर्गत लिया जाना था, अर्थात् निर्णय की तिथि से। इसके पश्चात, अनुशासनात्मक कार्यवाही छह माह के अंतर्गत पूर्ण की जानी थी, जिसके दौरान प्रतिवादी-याचिकाकर्ता निलंबित रखा जाना एवं उसे निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाना था। यदि नियोक्ता उक्त निर्णय में निर्धारित दो माह की समय सीमा के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ नहीं करने का निर्णय लेता है, तो प्रतिवादी-याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार माना जाएगा। इसलिए, दो माह की समय सीमा का कठोरतापूर्वक पालन किया जाना था, क्योंकि पालन न करने के परिणाम भी उसी निर्णय में खंड न्यायपीठ द्वारा निर्धारित किए गए थे। निःसंदेह, यदि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, तो अगले छह महीनों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण की जानी चाहिये थी।

8. अब, जब हम अभिलेखों का परिशीलन करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि, यद्यपि, अपीलकर्ता निगम का प्रतिनिधित्व खंड न्यायपीठ के समक्ष किया गया था, जिसने दिनांक 11.07.2017 को निर्णय पारित किया था, लेकिन अपीलकर्ताओं द्वारा उपरोक्त उल्लेखित दो माह की अवधि के अंतर्गत कोई निर्णय नहीं लिया गया था। वास्तव में यह कहा गया है कि दिनांक 21.09.2017 को एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जो कि खंड न्यायपीठ द्वारा निर्धारित समय सीमा से परे था एवं इसके अतिरिक्त, दिनांक 21.09.2017 का ऐसा कोई आदेश रिट न्यायालय के अभिलेख में या हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से बार-बार अनुरोध किया कि वे हमारे समक्ष उक्त आदेश प्रस्तुत करें, ताकि हम यह विनिश्चित कर सकें कि क्या इस आदेश में दिनांक 11.07.2017 के निर्णय के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करने का निर्णय निहित है या नहीं एवं वास्तव में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध है या नहीं। लेकिन ऐसा कोई आदेश हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका, इसके स्थान पर अपील के पृष्ठ संख्या 262 पर संलग्न एक दस्तावेज़ का आश्रय लिया गया, जिसमें दिनांक 21.09.2017 के उक्त आदेश का उल्लेख किया गया है।

9. जैसा भी हो, तथ्य यह है कि दो माह की समय सीमा का पालन नहीं किया गया एवं अपीलकर्ताओं द्वारा उक्त समय सीमा बढ़ाने के लिए न्यायालय में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

10. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ का यह तर्क कि ऐसे निर्णय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तत्काल अपलोड नहीं किए गए थे, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्णय में ही दो माह की समय सीमा निर्धारित थी, जिसका अर्थ है 'आज' से दो माह, अर्थात् निर्णय उद्धोषित जाने के दिनांक से दो माह। अपीलकर्ताओं ने उक्त निर्णय पारित करने वाली पीठ के समक्ष स्पष्टीकरण या समय विस्तार के लिए कोई आवेदन नहीं किया, जबकि वे ऐसा कर सकते थे। वास्तव में, जब उनसे पूछा गया कि दिनांक 11.07.2017 के उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति कब प्राप्त की गई थी, तो अपीलकर्ताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया।

11. हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता से यह भी पूछा कि क्या अपीलकर्ताओं की ओर से खंड न्यायपीठ के समक्ष उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं को उक्त निर्णय के बारे में सूचित किया था, इस संबंध में भी कोई उत्तर नहीं दिया जा सका। यह स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता की ओर से एक चूक है।

12. वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 11.07.2017 के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद ही कार्रवाई प्रारंभ की, जो प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 22.07.2017 को प्रस्तुत अभ्यावेदन के साथ दी गई थी।

13. दिनांक 31.07.2017 को प्रतिवादी-याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त हो गए।

14. निर्णय दिनांक 11.07.2017 के बाद, जिसमें बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया गया था, भले ही नए सिरे से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता के साथ एवं प्रक्रियात्मक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के आधार क्यों न हो, वास्तविकता यह है कि बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को सेवा में माना जाना चाहिए था एवं किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही को संबंधित अनुशासनात्मक नियमों के अधीन मात्र उसे सेवारत मानकर ही प्रारंभ किया जा सकता था, लेकिन हमें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है जो औपचारिक रूप से उसे सेवा में बहाल करता हो या उन्हें सेवा में मानता हो। वास्तव में, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री शचिंद्र प्रताप सिंह का अभिकथन है कि अपीलकर्ताओं ने उन्हें कभी भी सेवा में बहाल नहीं किया एवं न ही उन्हें निर्वाह भत्ता दिया, जैसा कि रिट न्यायालय के समक्ष दावा किया गया था।

15. जैसा भी हो, इस मामले का तथ्य यह है कि एक बार जब प्रतिवादी-याचिकाकर्ता, जिसे सेवा में माना जाना था और सभी व्यावहारिक एवं विधिक उद्देश्यों के लिए सेवा में था, ने 31.07.2017 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली, तो ऐसी कार्यवाही, यदि संभव हो तो, तभी जारी रह सकती है जब अपीलकर्ता निगम पर लागू सेवा नियमावली में ऐसा प्रावधान हो जो सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी कार्यवाही की अनुमति देता हो, क्योंकि, अन्यथा, स्वामी-सेवक संबंध सेवानिवृत्ति पर समाप्त हो जाता है एवं उसके बाद कोई दंड नहीं अधिरोपित किया जा सकता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, हालांकि, ऐसा कोई नियम हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके अंतर्गत दंड अधिरोपित करने के उद्देश्य से निगम में अनुशासनात्मक कार्यवाही सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रह सके।

16. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से पूछा कि क्या निगम में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके अंतर्गत उसके कर्मचारी के विरुद्ध राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू सिविल सेवा विनियमावली के विनियम 351-क में निहित प्रावधान के समान कार्यवाही जारी रखी जा सके। श्री सुदीप सेठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री कौशलेंद्र तिवारी के निर्देशों पर यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उस समय ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, हालांकि, बाद में अर्थात् 2023 में सीएसआर के विनियम 351-ए के समान प्रावधान नियमावली में अपनाए/सम्मिलित किए गए हैं। फिर भी, खंड न्यायापीठ द्वारा प्रदान स्वतंत्रता के दृष्टिगत, भले ही हम इस पक्ष को अनदेखा कर दें एवं यह दृष्टिकोण अपनाएं कि इस न्यायालय की खंड न्यायापीठ द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता के दृष्टिगत कार्यवाही जारी रह सकती है, जिसे प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने कभी चुनौती नहीं दी, जिसने यह दावा करते हुए कोई याचिका दायर नहीं की कि दिनांक 31.07.2017 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात कोई भी दंड अधिरोपित करने के लिए ऐसी कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती, अंततः जो तथ्य प्रकट होता है वह यह है कि दिनांक 11.07.2017 के निर्णय द्वारा निर्धारित समयसीमा का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।

17. इस संबंध में विधिक स्थिति इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा *अभिषेक प्रभाकर अवस्थी बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य*, 2013 एससीसी ऑनलाइन ऑल 14267 : (2014) 6 इला. एलजे 662 (एफबी) में विनिश्चित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम प्रकाश सिंह*, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 891, सिविल अपील संख्या 14724/2024 का निर्णय दिनांक 23 अप्रैल, 2025 को हुआ, एवं इस संबंध में कुछ अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ इसे बरकरार रखा गया। *राम प्रकाश सिंह (उपरोक्त)* के उक्त मामले के प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत हैं:-

“61. चौथे बिंदु के लिए हमें अभिषेक प्रभाकर अवस्थी (उपरोक्त) मामले पर विचार करना होगा, जो उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय है। पूर्ण पीठ का निर्णय होने के कारण, स्पष्ट है कि अधिकरण एवं उच्च न्यायालय की खंड न्यायापीठ इससे बाध्य थी। पूर्ण पीठ ने यह निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ इस न्यायालय के भारत संघ बनाम सत्येंद्र कुमार सहाय मामले में दिए गए निर्णय पर विचार करते हुए दिया था। हम मात्र पूर्ण पीठ को संदर्भित प्रश्नों के उत्तरों पर ध्यान दे सकते हैं, जो निम्नवत हैं:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“(क) प्रश्न संख्या (क): हम मानते हैं कि यदि कोई जांच, न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अंतर्गत पूर्ण नहीं होती है, तो नियोक्ता न्यायालय में समुचित आवेदन प्रस्तुत कर समय विस्तार की मांग कर सकता है, जिसमें जांच पूर्ण होने में विलंब के कारणों का उल्लेख हो। ऐसी स्थिति में, न्यायालय को मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर विचार करना होगा कि क्या समय बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि, जहां न्यायालय द्वारा समय सीमा निर्धारित की गई है, वहां नियोक्ता उस समय सीमा की अवहेलना करने को स्वतंत्र नहीं होगा एवं समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया जाना चाहिए;

(ख) प्रश्न संख्या (ख): सुरेश चंद्र (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एवं साथ ही सत्येंद्र कुमार सहाय (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ का निर्णय स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अनुशासनात्मक जांच पूर्ण करने में नियोक्ता की ओर से मात्र विलंब का तथ्य स्वतः ही प्रत्येक मामले में संपूर्ण कार्यवाही को रद्द नहीं कर देगा। समय सीमा निर्धारित करने वाले न्यायालय को समय बढ़ाने का अधिकार है एवं न्यायालय उस अधिकार का प्रयोग करते समय यह विचार कर सकता है कि विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है या नहीं। न्यायालय या तो कर्मचारी द्वारा जांच को चुनौती देते हुए दायर की गई कार्यवाही में या नियोक्ता द्वारा दायर किए गए एक स्वतंत्र आवेदन पर भी जांच पूरी करने के लिए समय को इस आधार पर उचित रूप से बढ़ा सकता है कि यह निर्धारित अवधि के अंतर्गत पूरी नहीं हुई थी। न्यायालय को समय बढ़ाने का अंतर्निहित अधिकार प्राप्त है, क्योंकि मूल समय सीमा न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की गई थी। समय बढ़ाने पर न्यायहित में विचार किया जाना चाहिए, जिसमें निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण प्रशासन के हित में जांच के तत्परतापूर्ण समापन की आवश्यकता को संतुलित किया जाना चाहिए। उपयुक्त मामले में, न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह स्वतः संज्ञान लेकर समय बढ़ाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कदाचार का कोई गंभीर आरोप बिना दंड के न समाप्त जाए जिससे जनहित को गंभीर हानि हो सकती है। न्यायालय के पास समय बढ़ाने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं, न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व एवं बाद में भी।

62. पूर्ण पीठ के उपरोक्त मत की पुष्टि करते हुए, हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देना चाहेंगे जिन पर इस पीठ ने विचार नहीं किया है। सर्वप्रथम, अनदेखे संस्थागत अवरोधों के कारण, जो त्वरित कार्रवाई को मंदित कर सकते हैं, यह सदैव संभव नहीं हो सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी

प्रत्येक ऐसे मामले में, जहां किसी अधिकरण/न्यायालय द्वारा कार्यवाही संपन्न करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, समय सीमा समाप्त होने से पूर्व आवेदन करे एवं समय विस्तार की मांग करे, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि समय सीमा समाप्त होने से पूर्व आवेदन करना एवं समय विस्तार प्राप्त करना अत्यंत वांछनीय है। असाधारण मामलों में, निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी, ऐसा आवेदन किया जा सकता है; और, निर्धारित समय के अंतर्गत कार्यवाही समाप्त करने में असमर्थता या विफलता के लिए बताए गए कारणों के आधार पर, एवं समय सीमा समाप्त होने से पूर्व विस्तार के लिए आवेदन न करने के लिए, अधिकरण/न्यायालय, अपने विवेक से, समय विस्तार के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो तब तक आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती जब तक कि कोई उच्च न्यायालय, अस्वीकृति के आदेश को पलटते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आगे कार्यवाही करने की अनुमति न प्रदान दे। दूसरा, यदि दोषी कर्मचारी निर्धारित समय से आगे कार्यवाही जारी रखने पर आपत्ति करता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी को आगे कार्यवाही किए बिना समय विस्तार के लिए आवेदन करना चाहिए एवं तब तक आगे कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जब तक कि उसके आवेदन पर समय विस्तार के लिए प्रार्थना स्वीकार न कर ली जाए। आपत्ति के बावजूद एवं समय विस्तार के बिना कार्यवाही करना पक्षपात की आशंका को जन्म दे सकता है। इसलिए, आवेदन पर आदेश की प्रतीक्षा में कार्यवाही रोककर समय विस्तार के लिए आवेदन करना नियोज्य एवं कर्मचारी दोनों के हितों को संतुलित करने के लिए एक उचित कार्रवाई होगी। तीसरा, भले ही अपचारी कर्मचारी ने अधिकरण /न्यायालय द्वारा निर्धारित समय से आगे कार्यवाही जारी रखने पर आपत्ति न की हो, लेकिन कार्यवाही में अंतिम आदेश पारित होने से पूर्व, अनुशासनात्मक प्राधिकारी समय विस्तार प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा। इसका साधारण कारण यह है कि अधिकरणों/न्यायालयों के आदेशों की शुचिता का उल्लंघनकर्ता पक्षकारों द्वारा अनादर नहीं किया जा सकता है। न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा गंभीर रूप से कम हो जाएगी एवं विधि का शासन तब तक सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक अधिकरणों / न्यायालयों के वैध आदेशों का उल्लंघन किया जाएगा एवं इस उल्लंघन को नरमी बरतकर प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। अंत में, हम यह कहना चाहते हैं कि यदि कोई अधिकरण/न्यायालय किसी जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई की कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करता है एवं साथ ही यह शर्त भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रखता है कि ऐसा न करने पर जांच/कार्यवाही रद्द हो जाएगी, तो ऐसे मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास आगे की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं रहेगा, जब तक कि वास्तविक आधारों का हवाला देते हुए, इस व्यतिक्रम खंड को वापस लेने का अनुरोध न किया जाए एवं प्राप्त न किया जाए ताकि आगे की कार्यवाही विधि के अनुसार की जा सके।

63. हम यह भी मानते हैं कि किसी अधिकरण/न्यायालय द्वारा निर्धारित समय से आगे अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने पर रोक लग सकती है, यदि समय बढ़ाने का कोई वास्तविक प्रयास न किया गया हो। हालांकि, बहुत कुछ प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा एवं प्रत्येक मामले पर लागू होने वाला एक सामान्य सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं है। किसी अपवाद परिस्थिति में, न्यायाधीश/न्यायालय को लापरवाही को अनदेखा करने का विवेकाधिकार होगा एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्देश देने का अधिकार होगा।

64. हमारी चर्चा के आलोक में, चौथे बिंदु का उत्तर प्रतिवादी के पक्ष में एवं अपीलकर्ता के विरुद्ध होना चाहिए। समय सीमा बढ़ाए बिना, कोई भी दंडात्मक आदेश वैध रूप से पारित नहीं किया जा सकता था एवं इस संबंध में प्रतिवादी की शिकायत पूर्णतः वैध है।

18. जांच अधिकारी की कथित नियुक्ति के बाद, उन्होंने दिनांक 12.10.2017 के पत्र द्वारा प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को अपनी नियुक्ति के संबंध में सूचित किया, हालांकि, इस सूचना के बाद प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को उनकी उपस्थिति एवं जांच कार्यवाही में भाग लेने के लिए कोई एवं तिथि, समय एवं स्थान सूचित नहीं किया गया, एवं न ही उनकी उपस्थिति में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया एवं उस पर विचार किया गया। पूछे जाने पर, इस तथ्य को अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया, एवं उनके सहायक श्री कौशलेंद्र तिवारी ने भी इसे स्वीकार किया। दरअसल, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि दिनांक 11.07.2017 के निर्णय द्वारा खंड न्यायपीठ द्वारा दी गई छूट के बाद भी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं प्रयोज्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप हुई थी। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं ने दिनांक 11.07.2017 के निर्णय से कोई सबक नहीं सीखा, जिसके द्वारा पहले की बर्खास्तगी को इन्हीं आधारों पर रद्द कर दिया गया था, अर्थात् प्राकृतिक न्याय एवं प्रक्रियात्मक विधि के सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर।

19. हमने अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता से यह पूछे जाने पर कि क्या जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कोई जांच रिपोर्ट, जो कि अपीलकर्ताओं के दावे के अनुसार दिनांक 04.12.2017 की है, कभी भी प्रतिवादी-याचिकाकर्ता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को प्रदान कि गई थी ताकि वह उसमें उल्लिखित निष्कर्षों को चुनौती दे सकता, हमारा ध्यान पृष्ठ संख्या 345 पर संलग्न एक दस्तावेज़ की ओर दिलाया गया, हालांकि, हम पाते हैं कि यह ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जिसमें प्रतिवादी-याचिकाकर्ता से जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के विरुद्ध कारण बताने को कहा गया हो। यह प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को एक संसूचना है जिसमें उसे 3 फरवरी 2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, अर्थात् उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है। जांच रिपोर्ट इस दस्तावेज़ के साथ संलग्न नहीं है। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह दर्शित हो कि कथित तौर पर दिनांक 4 दिसंबर 2017 की जांच रिपोर्ट कभी भी प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को कारण बताने का अवसर प्रदान करते हुए दी गई थी। निःसंदेह, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता ने दिनांक 2 फरवरी 2018 को एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 30 जनवरी 2018 के पत्र का संदर्भ दिया गया था, लेकिन इस पत्र में उसने मात्र अपना पक्ष प्रस्तुत किया है एवं खंड न्यायपीठ द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2017 के निर्णय में निर्धारित समय सीमा का पालन न करने पर एवं इस आधार पर कार्यवाही के अमान्य होने के संबंध में आपत्ति भी प्रस्तुत की है। उसने पहले भी जांच अधिकारी के समक्ष इसी प्रकार की आपत्ति उठाई थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

20. अपीलकर्ताओं ने रिट याचिका में समय सीमा बढ़ाने के लिए निर्धारित समय-सीमा के संबंध में न्यायपीठ के समक्ष कभी कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इससे मात्र यह दर्शित होता है कि सम्पूर्ण कार्यवाही कितनी लापरवाही एवं गैर-जिम्मेदाराना रूप से की गई।

21. हम इस स्तर पर यह इंगित करना चाहेंगे कि अनुशासनात्मक कार्यवाही वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई थी एवं उसके बाद से, पहले बर्खास्तगी आदेश को रद्द किए जाने के बाद भी, अपीलकर्ताओं का आचरण उचित एवं निष्पक्ष होने से कोसो दूर रहा है। वास्तव में, यह प्रतीत होता है कि वे खंड न्यायपीठ द्वारा निर्धारित समय-सीमा का सम्मान न करते हुए बर्खास्तगी का आदेश पारित करने पर तुले हुए थे एवं उन आधारों को भी अनदेखा कर रहे थे जिन पर प्रथम बर्खास्तगी आदेश रद्द किया गया था। इससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना है।

22. दिनांक 02.02.2018 के पत्र प्रस्तुत करने के बाद, लेकिन प्रतिवादी-याचिकाकर्ता द्वारा खंड न्यायपीठ के निर्णय एवं उसमें निर्धारित समय सीमा का पालन न करने के संबंध में प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर विचार किए बिना ही दिनांक 20.03.2018 को बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया। यहां भी, खंड न्यायपीठ द्वारा निर्धारित छह माह की अवधि से अधिक समय बीत जाने के बाद, वह भी समय सीमा बढ़ाने की मांग के किसी आवेदन के बिना, ऐसा बर्खास्तगी आदेश पारित किया गया, जो स्पष्ट रूप से इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा वर्ष 2013

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में घोषित निर्णय का उल्लंघन करता है।

23. हमने **अभिषेक प्रभाकर अवस्थी (उपरोक्त)** मामले में पूर्ण पीठ के निर्णय का अध्ययन किया है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राम प्रकाश सिंह (उपरोक्त)** मामले में इसकी पुष्टि की है एवं हमने उक्त निर्णयों में उल्लिखित समस्त कारकों पर भी विचार किया है, एवं समस्त कारकों पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात एवं आक्षेपित निर्णय तथा बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने के लिए दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात, हमारा यह मत है कि बर्खास्तगी आदेश स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण था क्योंकि यह खंडपीठ के निर्णय दिनांक 11.07.2017 का एवं **अभिषेक प्रभाकर अवस्थी** मामले में पूर्ण न्यायपीठ द्वारा घोषित विधि का भी उल्लंघन था, जिसकी पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राम प्रकाश सिंह (उपरोक्त)** मामले में की थी। हमारे समक्ष ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जो हमें समय सीमा बढ़ाने या स्वतः संज्ञान लेकर एवं इसे भूतलक्षी प्रभाव से क्षमा करने के लिए प्रेरित कर सके। प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को कार्यवाही के इतनी दीर्घ अवधि तक लंबित रहने के कारण बहुत क्षति सहनी पड़ी है एवं उसके साथ निष्पक्ष एवं उचित व्यवहार नहीं किया गया है।

24. इन सभी कारणों से, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं प्रतीत होती, अतः इसे **खारिज** किया जाता है।

13 जनवरी, 2026

एमवीएस

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)